प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जलसम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांकः— /न0ख0मी0/नीलामी/ दिनांक— 2020

विषयः—नीलामी सूचना संख्या—01/2020—21/की समाचार पत्रों में प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस खण्ड में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित सूचना संख्या—01/2020—2021/की सात प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया गया था, कि कृपया इस सूचना को स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में जो मीरजापुर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्वप्रचालित हो दो दिनों के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक—878/न0ख0मी0/एस—10/स्कैप (निलामी)/दिनांक—01.07.2020 द्वारा नीलामी सूचना आपको प्रेषित किया गया था, परन्तु कोविड—19 के कारण आपके कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया जा सका। जिसके कारण निर्धारित तिथि को नीलामी करना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः उक्त नीलामी से सम्बन्धित सूचना पुनः सात प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है, कि कृपया इस सूचना को स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में जो मीरजापुर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्वप्रचालित हो दो दिनों के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराने की कृपा करे।

संलग्नक—1—नीलामी सूचना 07 सेटो में।
2—एक अद्द सी0डी0।

भवदीय

(संदीप कठेरिया)
अधिशासी अभियन्ता

<u>पत्रांकः— /न0ख0मी0/नीलामी/त्दिनांकः—</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (सज्जा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार संगठन प्रथम गंगा सिंचाई भवन उत्तर प्रदेश, तेलियाबाग लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश वरूणापुरम, सिंगरा वाराणसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को मय सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि इस सिंचाई विभाग की बेबसाइड पर प्रकाशन एवं डाऊनलोड कराने की कृपा करे।
6. जिलाधिकारी महोदय, मीरजपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, मीरजापुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप अनुरक्षण खण्ड, भदोही।
10. अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल नहर खण्ड, मीरजापुर।
11. सहायक अभियन्ता—प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उखण्ड, नलकूप खण्ड, मीजापुर।
12. नोटिस बोर्ड।

भवदीय

(संदीप कठेरिया)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

सार्वजानिक नीलामी सूचना संख्याः–01/2020–21, नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है, कि निम्नलिखित सूची के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक–11.08.2020 को नलकूप खण्ड, मीरजापुर में अपरान्ह 11:00 बजे से निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जायेगी।

निष्प्रयोज्य सामग्री केन्द्रीय भण्डार नलकूप कालोनी, पथरहिया, मीरजापुर में उपलब्ध है। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र दिनांक–27.07.2020 से दिनांक–07.08.2020 तक सुबह 10:30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशीासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर कार्य अवधि में प्राप्त किये जा सकते है। दिनांक–07.08.2020 अपरान्ह 04.00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नही दिया जायेगा। भरे हुए आवेदन–पत्र निर्धारित धरोहर धनराशि तथा पहचान–पत्र के साथ दिनांक–10.08.2020 को अपरान्ह 04.00 बजे तक खण्डीय कार्यालय में जमा करना होगा।

क्र0 सं0	समग्री का विवरण	युनिट मात्रा कि0ग्रा0 में	लाट संख्या	धरोहर धनराशि	आवेदन पत्र का मूल्य	स्थान का नाम/पता जहॉ सामग्री उपलब्ध है।
1	2	3	4	5	6	7
1	पी0वी0सी0 ब्रन्ट कापर वायर	3473	01	1,14,338.00	300+18 प्रतिशत/जी. एस.टी नियमानुसार	नलकूप खण्ड, मीरजापुर
2	कास्ट आयरन स्क्रैप	732	02	1,685.00	–तदैव–	–तदैव–
3	एस0एस0स्क्रैप	123	03	283.00	–तदैव–	–तदैव–
4	एम0एस0स्क्रैप	890	04	2,049.00	–तदैव–	–तदैव–

नियम एवं शर्ते उत्तर प्रदेश, सरकार की अधिकृत बेवसाइट http:/etender.up.nic.in तथा सिंचाई विभाग की बेवसाइट http:/irrigation.up.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है, अतिरिक्त जानकारी हेतु अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

नीलामी की मुख्य शर्तेः–

1. धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड,मीरजापुर के नाम बन्धक तथा मीरजापुर में देय बैकर चेंक/बैक डाफ्ट के रूप में ही देय होगी। जिसे नीलामी स्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नही लिया जा सकता। धरोहर धनराशि नगद रूप मे मान्य नही होगी।
2. बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान–पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या–नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के दिन निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को अपना फर्म का इनकमटैक्स का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर तथा व्यापार कर में रजिस्टेशन की प्रमाणित फोटो प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा। इनकमटैक्स का पैन नम्बर जी0एस0टी0 नम्बर तथा व्यापार कर का रजिस्टेशन न होने पर बोली में भाग नही लिया जा सकेगा।
4. नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
5. उपरोक्त सामग्री जहॉ भी है, जैसे भी है के आधार पर नीलामी की जायेगी।
6. नीलामी की जाने वाली सामग्री केन्द्रीय भण्डार नलकूप कालोनी, पथरहिया, मीरजापुर में उपलब्ध है का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस मे ंकार्यालय समय मे ंसम्बन्धित अवर अभियन्ता (भण्डार)/भण्डार पाल से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
7. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि शामिल करते हुए) तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. विक्रय किये गये आवेदन–पत्र का मूल्य वापस नही किया जायेगा।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की अन्य शर्तोः–

1. बोलीदाता के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का नीलामी स्थल में प्रवेश वार्जित रहेगा।
2. नीलामी की स्वीकृति विभाग/शासन स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिन्हे बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रेषण के पन्द्रह दिवस के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत जमा करना होगा। तद्रोपरान्त 15 दिवस के अन्दर अधिशासी अभियन्ता के लिखित आदेश पर सामग्री उठाना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत शेष जमा धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
3. उच्चतम बोली बोलने वाले को कुल बोली मूल्य पर जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली अस्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी हेतु सामग्री जहा है, जैसे की स्थिति में प्रदान किया जायेगा। बोली स्वीकृत के पश्चात नीलामी सामग्री सन्दर्भ मे ंकोई शिकायत स्वीकार्य नही होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी के अनुमोदन होने एवं सामग्री उठाने तक दर्शित सामग्री की सुरक्षा प्रबन्ध स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी की समस्त प्रक्रिया वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के पैरा 260 ए एपेन्डिक्स एक्स आई एक्स डी के अन्तर्गत की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।